इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 6 जनवरी, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 4
विनियामकों के कथन ----------5
आर्थिक संवेष्टन ----------6
विदेशी मुद्रा ----------8
शब्दावली----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- -9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने संपर्क-रहित कार्ड लेनदेन सीमा बढाई

डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से संपर्क-रहित कार्ड लेनदेन सीमा को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। कार्डों और एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) के माध्यम से आवर्ती लेनदेनों में भी इसीप्रकर के परिवर्तन किए गए हैं। आवर्ती लेनदेनों के लिए संपर्क-रहित कार्ड लेनदेनों और कार्डों (तथा एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ) पर ई-अधिदेशों ने सामान्य रूप से ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़े हुये उपयोग से इष्टतम लाभ उठाया है। वे विशेषत: कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की स्थितियों के दौरान सुरक्षित एवं निरापद रीति से भुगतान करने में भी समर्थ बनाते है। संपर्क-रहित कार्ड भुगतान पिन में पंचिंग किए बिना ही किए जाते है जिससे यह लेनदेन के लिए अधिकाधिक तौर पर एक सुरक्षित विधि बन जाती है। इस सीमा को ग्राहक के स्वनिर्णय पर और भी बढ़ाया जा सकता है।

14 दिसंबर से 24 x 7 तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली सुविधा

भारतीत रिजर्व बैंक ने तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS) सुविधा को 14 दिसंबर, 2020 से सप्ताह के सभी दिनों चौबीसों घंटे उपलब्ध करा दिया है।

तदनुसार अब ग्राहकों और अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए तत्काल सकल भुगतान/निपटान सुविधा ''दिवसांत'' एवं ''दिवसारम्भ'' प्रक्रियाओं के बीच वाले अंतराल, जिसका समय-निर्धारण तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली के जरिये सूचित किया जाएगा, को छोडकर चौबीसों घंटे उपलब्ध है। सहज परिचालनों को सुगम बनाने के लिए अंत:-दिवसीय (intra-day) चलनिधि सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है तथा दिवसांत की प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व उसे प्रतिवर्तित (reverse) किया जाना होता है।

जनता को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : त्वरित वित्त का वचन देने वाले डिजिटल उधारदाई एपों के प्रति सतर्क रहें

भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं को उन संदिग्ध डिजिटल धन उधारदात्री संस्थाओं के संबंध में चेतावनी जारी की है जो अत्यधिक ब्याज दर पर कुछेक सेकंडों में ही ऋण देने का वचन देती हैं और उसके बाद प्राप्य राशियों को वसूल करने के लिए अवैध साधनों का प्रयोग करती हैं। शीर्ष बैंक ने उपभोक्ताओं को अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेजों की प्रतियाँ अपरिचित व्यक्तियों अथवा गैर-सत्यापित/ अनधिकृत एपों में कभी भी प्रयुक्त न करने की याद भी दिलाई है। लोगों को इस प्रकार के एपों/उन एपों से जुड़े बैंक खातों से संबन्धित सूचना संबन्धित कानून प्रवर्तक एजेंसियों को देनी चाहिए अथवा कोई आनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ''सचेत'' पोर्टल का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर भी बल दिया है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से उपयोग में लाये जाने वाले डिजिटल उधारदाई प्लेटफार्मों को उनके ग्राहकों को प्रारम्भिक रूप से बैंक अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम भी बताने चाहिए।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यातकों के लिए बैंकिंग और दस्तावेजों पर कार्रवाई की कार्यविधियाँ सरल बनाई गईं

कोविड प्रेरित लाकडाउनों के कारण महत्वपूर्ण बाज़ारों में निर्यात में पुन: कठिनाई आने की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारियों के लिए निर्धारित कार्यविधियों को

सरल बनाने के उपायों की घोषणा करते हुये राहत प्रदान की है। नवागंतुकों (starters) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्वयं अपनी ओर से निर्णय लेने की अनुमति देते हुये कुछेक कार्यविधियों हेतु उससे अनुमोदन प्राप्त करने वाले खंड को हटा दिया है। उदाहरण के लिए अब बैंक ऐसे मामलों में निर्यात को स्वयं नियमित करने में समर्थ होंगे जिनमें प्राप्त होने वाली राशियाँ वसूल हो चुकी हैं। विदेशी आयातकों के दिवालिया घोषित हो जाने अथवा विदेशों में सीमा शुल्क या अन्य प्राधिकारियों द्वारा माल को नष्ट कर दिये जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को किसी सीमा के बिना निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को उन्हीं आयातकों को भुगतान की जाने वाली धनराशि के समक्ष समूहों को उनकी प्राप्य राशियों को समंजित करने की अनुमति भी दे दी है। बैंकों को वापसी से संबन्धित अनुरोधों पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर ऐसे माल के आयात पर बल दिये बिना विचार करने की अनुमति भी दे दी है, जो प्रकृति की दृष्टि से विनश्य हों अथवा संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा नीलाम कर दिये गए या नष्ट कर दिये गए हों।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक भुगतानों के लिए 1 जनवरी से "सकारात्मक भुगतान प्रणाली" की शुरूआत की

बैंकिंग धोखाधड़ियों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2021 से चेकों के लिए ''सकारात्मक भुगतान प्रणाली'' की शुरूआत की है। ''सकारात्मक भुगतान प्रणाली'' के अधीन चेक जारीकर्ता के लिए अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को (एसएमएस, मोबाइल एप, इन्टरनेट बैंकिंग अथवा एटीएम के जरिये) इलेक्ट्रानिक विधि से उस चेक के संबंध में तिथि, लाभार्थी का नाम, आदाता, रकम जैसे कुछेक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। चेक को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने के पूर्व इन विवरणों की जांच की जाएगी। चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) द्वारा किसी विसंगति का संकेत दिये जाने की स्थिति में निवारण संबंधी उपाय किए जाएंगे।

विनियामकों के कथन

बैंकों को नकदी प्रवाह-आधारित उधार पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने बैंकों को उनके उधार देने से संबन्धित निर्णयों के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में ऋण अनुपात बढ़ाने के लिए सांपार्श्विकों की बजाय नकदी प्रवाह-आधारित उधार पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है। इस संबंध में गवर्नर ने यह मत व्यक्त किया है कि ऋण ब्यूरो और प्रस्तावित सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (PCR) ढांचा ऋण प्रवाह तथा उसके साथ ही देश की ऋण संस्कृति में सुधार ला सकते हैं। डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सी वाला दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें विषय-वस्तु/कन्टेन्ट (विद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या सहित), वित्तीय सेवाएँ और शिक्षण प्रदान करने वाली मध्यवर्ती संस्थाओं की क्षमता, उपयुक्त सम्प्रेषण रणनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय-प्रेरित माडल के सकारात्मक प्रभाव तथा विविध हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल हैं।।

गवर्नर बैंकों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे देश की समस्त लंबाई एवं चौड़ाई तक सर्वव्यापी पहुँच जैसा लक्ष्य प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त वर्धित ग्राहक संरक्षण के साथ मांग पक्ष वाली अड़चनों के निवारण पर अधिकाधिक संकेन्द्रण सहित वहनीय ऋण, निवेश, बीमा एवं पेंशन उत्पादों पर पैठ बनानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि, ''आकांक्षी जनसंख्या वाले हमारे जैसे विशाल देश में वित्तीय शिक्षा केवल वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की ज़िम्मेदारी नहीं रह सकती।'' उनका मत है कि ''अतएव, शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक निकायों तथा चिंतकों और अनुसंधान संस्थाओं को उपयुक्त जागरूकता अभियानों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए।''

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के निर्देश : पूंजी जुटाकर अपनी उधारदात्री

क्षमता बढ़ाएँभारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने बैंकों से कहा है कि वे पूंजी जुटाकर अपनी आघात सहनीयता और उधार देने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए

सक्रिय उपाय करें। श्री दास ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के चुनिन्दा ऋणदाताओं के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ मुलाक़ात की, जिसमें उन्होंने सतर्क बने रहने और अशोध्य ऋणों के समक्ष सक्रिय रूप से प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री दास ने वर्तमान कठिन स्थितियों में आर्थिक गतिविधियों के पुनरुज्जीवन की विद्यमान प्रक्रिया में बैंकिंग क्षेत्र के महत्व को भो रेखांकित किया । उन्होंने वित्तीय क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु महामारी की शुरूआत से अब तक केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख किया।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के मासिक आर्थिक पुनरीक्षण से कुछेक मुख्य उद्धरण नीचे दिये जा रहे हैं :

- डिजिटल लेनदेन : दिसम्बर, 2020 में एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ लेनदेन मूल्य की दृष्टि से 4.16 लाख करोड रुपए और परिमाण की दृष्टि से 223 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गए। 14 दिसम्बर, 2020 से तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणाली (RTGS) की चौबीसों घंटे उपलब्धता डिजिटल भुगतान करने के लिए वर्धित सुविधा प्रदान करेगी। आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (AePS) ने वित्तीय समावेशन को देश के अत्यंत दूर-दराज वाले भागों तक पहुंचा दिया है जिससे देश डिजिटल भुगतानों में समर्थ हो गया है। एटीएमों, सूक्ष्म एटीएमों तथा बैंकिंग संपर्कियों से नकदी आहरणों से मांग की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी का पता चलता है।
- व्यापार घाटा : भारत ने नवंबर, 2020 के 9.9 बिलियन अमरीकी डालर घाटे के समक्ष दिसम्बर, 2020 में 15.7 बिलियन अमरीकी डालर का उच्चतर तिजारती

माल व्यापार का घाटा दर्ज किया। पिछले 9 महीनों से नकारात्मक संस्तर पर रहने के बाद तिजारती आयात ने दिसम्बर, 2020 में 42.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुँच कर 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह घरेलू गतिविधि में तेजी का संकेत है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व और भारत के लिए ऋण-रहित वित्त का स्रोत बना रहा। अप्रैल-अक्तूबर, 2020 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह 46.82 बिलयन अमरीकी डालर के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो 2019-20 के पहले 7 महीनों (36.05 बिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में 11.3 प्रतिशत अधिक रहा। यह वैश्विक निवेशकों में अधिमान्य निवेश स्थल के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है।
- मुद्रास्फीति : कमतर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) -आधारित मुद्रास्फीति अक्तूबर, 2020 के 7.6 प्रतिशत से घटकर नवंबर, 2020 में 6.9 प्रतिशत हो गया। मुख्यत: विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति के कारण थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति अक्तूबर, 2020 के स्तर की तुलना में साधारण रूप से बढ़कर 1.55 प्रतिशत हो गया।
- ऋण वृद्धि : 18 दिसम्बर, 2020 के दिन खाद्येतर ऋण वृद्धि तथा वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात बढ़कर क्रमश: 9.4% और 19.53% हो गए। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण भी 18 दिसम्बर, 2020 के दिन बढ़कर 105.0 लाख करोड़ हो गाया, जो वर्षानुवर्ष 5.76% की वृद्धि दर्शाता है। 18 दिसम्बर, 2020 के दिन वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात घटकर 19.53% रह गया।
- अमरीकी डालर की दर में उतार-चढ़ाव : दिसम्बर, 2020 में विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक की डालर खरीदियों ने व्यापक रूप से रुपए को 73.1-73.9 रुपए/अमरीकी डालर की दर पर श्रेणीबद्ध रखा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्थक डालर खरीद की पृष्ठभूमि में सोने के प्रारक्षित भंडार और विदेशी मुद्रा आस्तियों, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि 25 दिसम्बर, 2020 को 580 .8 बिलियन डालर के नए कीर्तिमान पर पहुँच गई, जिससे 16 माह से अधिक का आयात सुरक्षित हो गया।

- सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी : भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक सहूलियत एवं चलनिधि निषेचन की पृष्ठभूमि में सरकारी और कारपोरेट दोनों ही के लिए निधियों की लागत में सुधार हुआ, जिससे ऋण बाज़ारों के विविध खंडों में प्रतिफलों में कमी आई। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल 27 नवंबर, 2020 के 5.84% के स्थान पर 25 दिसम्बर, 2020 को 5.96 % हो गया।
- माल एवं सेवा कर वसूली : माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व नवंबर, 2020 के 1.05 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर दिसम्बर, 2020 में 1.15 लाख करोड़ हो गया। यह दिसम्बर, 2020 से 12% की वृद्धि भी दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	25 दिसम्बर, 2020 के दिन बिलियन रुपए	25 दिसम्बर, 2020 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित नि	4272332	580841
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3953337	537474
(ख) सोना	270026	36711
(ग) विशेष आहरण अधिकार	11108	1,510
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	37682	5145

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जनवरी, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.21900	0.22300	0.24300	0.34500	0.44700
जीबीपी	0.00590	0.034	0.101	0.1525	0.1928
यूरो	-0.50990	-0.523	-0.506	-0.484	**-0.462**
जापानी येन	-0.03630	-0.036	-0.043	-0.035	-0.028
कनाडाई डालर	0.69000	0.521	0.619	0.737	0.850
आस्ट्रेलियाई डालर	0.07400	0.121	0.011	0.010	0.011
स्विस फ्रैंक	-0.70250	-0.705	-0.671	-0.619	-0.556

डैनिश क्रोन	-0.14400	-0.1530	-0.1625	-0.1622	-0.1735
न्यूजीलैंड डालर	0.28000	0.020	0.025	0.060	0.120
स्वीडिश क्रोन	-0.02900	-0.002	-0.044	0.095	0.148
सिंगापुर डालर	0.17500	0.205	0.265	**0.358**	0.453
हांगकांग डालर	0.35000	0.360	0.405	0.470	0.540
म्यामार	1.93000	1.980	2.070	2.190	2.270

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (Public Credit Registry)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सृजित सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री भारत में विद्यमान एवं नए उधारकर्ताओं, दोनों की वित्तीय सूचनाओं को प्रगृहीत और भंडारित करने हेतु एक सार्वजनिक डिजिटल रजिस्ट्री है। उक्त ऋण रजिस्ट्री व्यक्तियों एवं कारपोरेट दोनों ही के उधार इतिवृत्तों को वित्तीय अपचारों, अनिर्णीत कानूनी वादों तथा इरादतन चूककर्ताओं के समावेश वाले एक प्लेटफार्म के तहत परितुलित करेगी। इस प्रणाली में रखा गया डाटा बैंकों, निजी वित्तीय संस्थाओं और उधारकर्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी स्वयं की ऋण सूचना तक पहुँच होगी तथा वे उसमें सुधार करवा सकेंगे।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

द्विपदी वितरण (Bionomial Distribution)

द्विपदी वितरण को सामान्य रूप से किसी ऐसे प्रयोग या सर्वेक्षण में जिसे कई बार दोहराया जाता है, परिणाम की **सफलता** या **विफलता** की संभाव्यता माना जा सकता है। द्विपदी वितरण का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें दो संभाव्य परिणाम निहित होते हैं, (उपसर्ग ''द्वि'' से अभिप्राय है दो या दो बार)। उदाहरण के लिए किसी सिक्के को उछालने के केवल दो संभाव्य परिणाम होते हैं: अगला हिस्सा या पिछला हिस्सा तथा इसका परीक्षण किए जाने के केवल दो परिणाम्म हो सकते हैं : उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	12 से 14 जनवरी, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा हेतु कार्यक्रम	18 से 19 जनवरी, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिक	27 से 29 जनवरी, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलनपत्र और अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	28 से 29 जनवरी, 2020 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

मई-जून, 2021 परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय कर दी गई है। मई-जून 2021 और उसके बाद से संचालित परीक्षाओं के लिए केवल निम्नलिखित छः चयनात्मक विषय उपलब्ध कराये जाएंगे :

1. खुदरा बैंकिंग
2. मानव संसाधन प्रबंधन
3. सूचना प्रौद्योगिकी
4. केंद्रीय बैंकिंग
5. ग्रामीण बैंकिंग
6. जोखिम प्रबंधन

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही ग्यारह में से कोई भी एक ऐसा चयनात्मक विषय चुन रखे हैं, जो मई/जून, 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये गए हैं, उन्हें ऊपर वर्णित 6

चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गए चायनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने की अनुमति होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

खजाने का उपयोग करने वाली बैंकिंग हेतु जोखिम प्रबंधन पर वेबिनार

अपनी सदस्य शिक्षण शृंखला के एक अंग के रूप में संस्थान ने 5 जनवरी, 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया। उक्त वेबिनार का विषय था ''खजाने का उपयोग करने वाली बैंकिंग के लिए जोखिम प्रबंधन''। यह कार्यक्रम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के ग्रुप हेड, ग्लोबल मार्केट्स (बिक्री, व्यापार एवं अनुसंधान) श्री प्रसन्न बालचंदर और आईसीआईएसीआई बैंक लिमिटेड के आस्ति-देयता प्रबंधन विभाग के प्रमुख श्री वासुदेव कोंडा द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। उक्त वेबिनार में लगभग 200 बैंकरों ने सक्रिय सहभागिता की और इस विषय में कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की।

सूक्ष्म एवं स्थूल शोध के लिए प्रस्ताव 2020-21 आमंत्रित

संस्थान वर्ष 2020-21 के लिए सूक्ष्म आलेख एवं स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित करता है। वे विषय जिन पर सूक्ष्म/स्थूल शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हैं वेबसाइट में सूचीबद्ध किए गए हैं। आलेख/प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2021 है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

हीरक जयंती शोध फ़ेलोशिप के लिए प्रस्ताव 2020-21 आमंत्रित

संस्थान भारत और विदेशों में बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में हुई अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन करने हेतु हीरक जयंती बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है। शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2021 है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf. Org. in. देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। 8 प्रमाणपत्र परीक्षाओं के लिए परोक्ष रूप से निरीक्षण अगस्त, 2020 में किया गया और 13 प्रमाणपत्र परीक्षाएँ सितंबर, 2020 में आयोजित की गईं। परीक्षा दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को संचालित की जाटी हैं। परीक्षा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परोक्ष रूप से निरीक्षण स्वत: परोक्ष निरीक्षण एवं भौतिक परोक्ष निरीक्षण प्रक्रियाओं के संयोजन में किया जात है। इस विधि की परीक्षा से संबन्धित महत्वपूर्ण अनुदेश तथा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam related notice.asp

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों
तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक

ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

संशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना

संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों
(credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ सहयोग

संस्थान के साथ एक पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने 27 जून, 2017 को चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ एक ऐसा पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया था जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित भारतीय सह-सदस्यों (CAIIB) के लिए उनकी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर संस्थान द्वारा मान्यता दिलाने और चार्टर्ड बैंकर संस्थान की व्यावसायिकता, नैतिक नियमों तथा विनियमन मापांक (module) का अध्ययन कर के चार्टर्ड बैंकर बनने एवं चिंतनशील नियत कार्य (reflective assignment) सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ बनाने का एक मार्ग खोला गया था। इस पारस्परिक मान्यता करार को आगे बढाते हुये इंडियन इंस्टीट्यूट आफ

बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित कनिष्ठ सहयोगियों (JAIIB) के लिए भी जेएआईआईबी व्यावसायिक परिवर्तन मार्ग के माध्यम से चार्टर्ड बैंकर की हैसियत प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम को घोषित करने की तिथि चार्टर्ड बैंकर संस्थान के परामर्श से शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय (UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

हमारे तिमाही जर्नल "बैंक क्वेस्ट" के जनवरी –मार्च, 2021 अंक के लिए विषय-वस्तु है: जनवरी - मार्च, 2021 - रोल आफ फाइनैन्सियल सेक्टर इन सपोर्टिंग आत्मनिर्भर भारत

इनिशिएटिव आफ गवर्नमेंट आफ इंडिया

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा मेँ कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

16

बाजार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

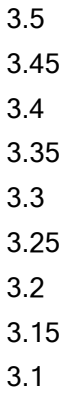

जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़ लेटर दिसंबर, 2020, 2020

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

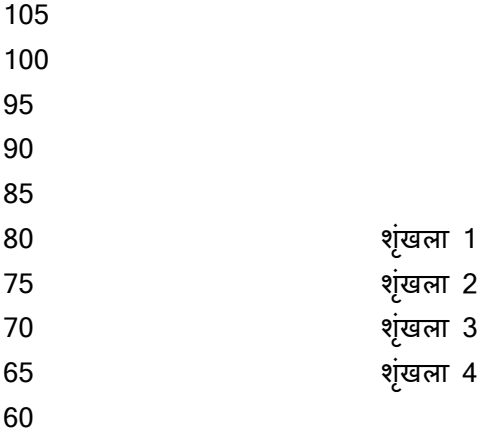

जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020, दिसंबर, 2020

स्रोत : एफबीआईएल

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

6.5
6
5.5
5

मई, 2020, जून, 2020, जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसंबर, 2020

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

49000.00
47000.00
45000.00
43000.00
41000.00
39000.00
37000.00

जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितम्बर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवम्बर, 2020, दिसंबर, 2020
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

11.5
11
10.5
10
9.5

जून, 2020, जुलाई, 2020, अगस्त, 2020, सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड दिसंबर, 2020

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.

आईआईबीएफ विजन जनवरी, 2021